अध्याय पंचम

शोध सार, निष्कर्ष एवं सुझाव

अध्याय – पंचम

शोध सार, निष्कर्ष एवं शैक्षिक सुझाव

5.1 शोध सार

प्रस्तावना :–

बढ़ती जनसंख्या तथा घटते संसाधनों के इस युग में कठिन प्रतिस्पर्धा ने मानव को मशीनी आर्थिक मानव बना दिया है। आज के इस व्यस्तम युग में न तो व्यक्ति के पास स्वयं के लिए समय है और न ही परिवार के लिए। बच्चों के साथ बिताए जाने वाले समय की जगह काम ने ले ली है या फिर गलत शौक ने । जिससे बच्चों को मिलने वाली आत्मीयता तथा परवरिश में कमी आई है। जिसके फलस्वरूप बच्चे अपने आपको उपेक्षित महसूस करते हैं तथा उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति बाधित हो जाती हैं जिसके कारण उनका व्यवहार सही पथ से विचलित होने लगता है जो उनके अवांछित व्यवहार का स्त्रोत होता है।

आज का मानव समाज द्रुतगामी हो गया है, तेजी से हो रहे विकास के साथ–साथ अनेक बुराईयां भी तेजी से बढ़ रही हैं जो सर्वाधिक बच्चों और किशोरों को प्रभावित करती है, जिसके कारण आज समाज में बच्चों का व्यवहार, सामाजिक मान्यताओं, मूल्यों के प्रतिकूल होता जा रहा है तथा समाज में उपेक्षित बच्चों की संख्या में तेजी से वृद्धि होती जा रही है।

एक किशोर बालिका के उपेक्षित होने से न केवल समाज, देश के वर्तमान को नुकसान पहुंचता है अपितु वर्तमान के साथ–साथ भविष्य भी प्रभावित होता है।

शोध की आवश्यकता :

समाज का अस्तित्व एवं सामाजिक मर्यादाओं की रक्षा एवं संरक्षण हेतु यह आवश्यक है कि किशोर बालिकाओं की उपेक्षित होने की संख्या वृद्धि दर को रोका जाय तथा जो किशोर बालिकाएं उपेक्षित हैं, उनको जीवन और समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाये। समाज की सुख शांति के लिए यह आवश्यक है कि बालिकाओं को उपेक्षित होने से बचाया जाये। इसके लिए उपेक्षित बालिकाओं से संबंधित प्रत्येक पहलू तथा आयाम की पर्याप्त जानकारी आवश्यक है।

शोध कथन :

"किशोर बालिका गृह" की उपेक्षित बालिकाओं का वैयक्तिक अध्ययन।"

शोध के उद्देश्य :

प्रस्तुत लघु शोध के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये गये है :

1. उपेक्षित बालिकाओं के समाज मान्य नियमों, मान्यताओं एवं मूल्यों के प्रतिकूल किये गये व्यवहार के लिए उत्तरदायी कारणों का पता लगाना।
2. किन कारणों/कारको ने उपेक्षित बालिकाओं के व्यवहार पर प्रभाव डाला उसका पता लगाना।
3. उपेक्षित बालिकाओं के शैक्षिक क्रियाकलापों की पहचान करना।
4. उपेक्षित बालिकाओं के मनोवैज्ञानिक व्यवहार का अध्ययन करना।
5. बालिका का अकेले में और परिवार के बारे में जानकारी प्राप्त करना और यह ज्ञात करना कि बालिका को किस प्रकार की उपेक्षा सहन करनी पड़ी ?
6. किशोर बालिका गृह में बालिकाओं के सुधार के लिए क्या शैक्षिक और व्यवसायिक सुविधाएं दी जा रही हैं उसका पता लगाना।
7. किशोर बालिका गृह में बालिकाओं के सुधार के लिए क्या शैक्षिक और व्यवसायिक सुविधाएं दी जा रही हैं उसका पता लगाना।

शोध प्रश्न :

1. उपेक्षित बालिकाओं के मनोवैज्ञानिक व्यवहार के लक्षण कौन–कौन से हैं ?
2. उपेक्षित बालिकाओं के इस प्रकार के व्यवहार के लिए, आचरण के लिए कौन–कौनसे कारक उत्तरदायी हैं ?
3. विभिन्न उपेक्षित बालिकाओं के व्यवहारिक गुणों में क्या समानताएं है ?
4. किशोर उपेक्षित बालिकाओं के लिए कौन–कौन से सुधारात्मक शैक्षणिक कार्यक्रम हो सकते हैं ?

लघुशोध में प्रयुक्त तकनीकी शब्दों का शोध के परिप्रेक्ष्य में क्रियात्मक परिभाषीकरण

उपेक्षित बालिका :– इस लघुशोध में उपेक्षित बालिका से तात्पर्य उस बालिका से है जो घर में व समाज में उपेक्षा के शिाकर होने के कारण किशोर बालिका गृह में रह रही है जहां उसकी देखरेख और संरक्षण किया जा रहा है।

शिक्षाकोश में कहा गया है :–

उपेक्षित बच्चे वो हैं जिन्हें माता–पिता, अभिभावक, समाज, सरक्षा, अनुशासन व मनोवैज्ञानिक दिशा निर्देश न दे सकें।

किशोर बालिका गृह :

किशोर न्याय अधिनियम बालकों की देखरेख तथा संरक्षण 1986 की धारा 34 के द्वारा किशोर बालिका गृह की स्थापना 1989 में हुई। यह संस्था किशोर न्याय अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत संचालित है। इस गृह में बालिकाएं किशोर कल्याण बोर्ड, बाल कल्याण समिति के माध्यम से आती है। यहॉ बालिकाएं 19 वर्ष उम्र होने तक रहती है।

किशोर बालिका गृह में रह रही बालिकाओं के प्रकार :–

किशोर बालिका गृह अंतर्गत निम्नलिखित प्रकार की बालिकाओं को रखा जाता है :–

1. भिक्षा मांगती हुई बालिका ।
2. गृह विहीन और जीवन निर्वाह के किसी साधन के बिना।
3. संरक्षक द्वारा बालिका को क्षतिग्रस्त, दुरूपयोग या उपेक्षा होने वश
4. रोगी
5. माता–पिता संरक्षक द्वारा बालिका पर नियंत्रण रखने में असमर्थता
6. यौन शोषण या अवैध कार्यों में लिप्त बालिका
7. मादक वस्तु के दुर्व्यवहार में लगी हुई बालिका

8. सशस्त्र संघर्ष, सिविल, अशांति या दैवी आपदा की शिकार

प्रतिदर्श :–

प्रस्तुत अध्ययन में न्यादर्श के रूप में भोपाल में स्थित "किशोर बालिका गृह" नेहरू नगर की 15 उपेक्षित बालिकाओं को लिया गया है।

किशोर बालिका गृह में रहने वाली उपेक्षित बालिकाओं की संख्या कुल 62 है जिसमें से 52 सामान्य बालिकाएं है एवं 10 मंदबुद्धि बालिकाएं है। सामान्य 52 बालिकाओं में 13 से 15 वर्ष की 15 उपेक्षित बालिकाओं का अध्ययन किया गया है।

उपकरण :–

चयनित 15 उपेक्षित बालिकाओं का अलग–अलग अध्ययन करने के लिए अनुसंधानकर्ता द्वारा व्यक्तिगत अध्ययन प्रपत्र तैयार किया गया है साथ ही अन्य उपकरणों की मदद ली गई है

1. व्यक्तिगत इतिहास फाईल
2. व्यक्तिगत अययन प्रपत्र
3. साक्षात्कार
4. अवलोकन
5. मनोवैज्ञानिक परीक्षण
   - अ) हाईस्कूल व्यक्तित्व प्रश्नावली
   - ब) रेवेन प्रोग्रेसिव मेट्रिसेस
   - स) समायोजन अनुसूची

अनुसंधानकर्ता द्वारा व्यक्तिगत प्रपत्र तैयार किया गया है जिसको 10 भागों में बांटा गया है :–

अ) सामान्य जानकारी

ब) पारिवारिक विवरण

स) स्वास्थ्य संबंधी जानकारी

द) बालिका की पिछले दो साल की शैक्षिक प्रगति का अभिलेख

इ) व्यवहार संबंधी जानकारी

फ) किशोर बालिका गृह में बालिका द्वारा किये जाने वाले दैनिक क्रियाकलाप

य) बालिका की समस्या के प्रति दृष्टिकोण

र) सामान्य अवलोकन

ल) निष्कर्ष

व) समस्या सुधार हेतु उपाय/सुधार

श) टिप्पणी

प्रदत्तों के संकलन हेतु अपनाई गई प्रविधियां :

प्रस्तुत लघु शोध में वांछित जानकारियों के संकलन के लिए व्यक्तिगत अध्ययन प्रविधि (केस स्टडी मेथड) का उपयोग किया गया है। जिसमें प्रत्येक बालिका को इकाई मानते हुए व्यैक्तिक अध्ययन किया गया है। इसके लिए तीन अभिलेखों का उपयोग किया गया है :– अनुसंधानकर्ता द्वारा तैयार व्यक्तिगत अध्ययन प्रपत्र, संस्था द्वारा संचित अभिलेख तथा मनोवैज्ञानिक परीक्षण।

व्यक्तिगत अध्ययनों का सारांश

व्यक्तिगत अध्ययन क्रमांक 01

कुमारी आशा की आयु 15 वर्ष है। आशाजिला रतलाम मध्यप्रदेश की निवासी है। आशा के पिता ने दूसरी शादी कर ली और आशा अपनी मां के साथ रहती थी। मां आशा को छोड़कर अचानक कहीं चली गई। उपेक्षित बालिका वर्तमान में संस्था में रह रही है। कक्षा पांचवीं में अध्ययन कर रही है।

आशा के उपेक्षित होने के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों में निम्न आर्थिक स्थिति, पिता द्वारा दूसरी शादी, मां की उपेक्षा मुख्य कारण है। आशा संस्थ में झगड़ा करती है। हमेशा काल्पनिक दुनिया में रहती है।

व्यक्तिगत अध्ययन क्रमांक 02

कुमारी आफरीन की आयु 14 वर्ष है। आफरीन सिंधी कालोनी, भोपाल मध्यप्रदेश की निवासी है। आफरीन के साथ घर में ही मौसा जी द्वारा अकेला पाकर दुष्कृत्य किया गया। आफरीन वर्तमान में संस्था में रह रही है। कक्षा पॉचवीं में अध्ययन कर रही है।

आफरीन की उपरोक्त दशा का कारण परिवार की लापरवाही, पिता द्वारा मां को तलाक, मां द्वारा दूसरी शादी, सौतेले पिता के अत्याचार, घर की निम्न आर्थिक स्थिति, बालिका की पूर्ण परिवरिश न होना है एवं सुरक्षा की कमी है।

बालिका को पढ़ने लिखने की तीव्र इच्छा है एवं संस्था में ही रहना चाहती है।

व्यक्तिगत अध्ययन क्रमांक 03

कुमारी वर्षा सुल्तानगंज, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश की निवासी है। वर्षा की आयु 13 वर्ष है। सौतेली मां व पिताजी बहुत मारते पीटते थे अतः घर छोड़ दिया और भोपाल आ गई। यहां एक अजनबी व्यक्ति के पास रहने लगी जिसने उसका मानसिक व शारीरिक शोषण किया।

वर्षा वर्तमान में संस्था में रह रही है। कक्षा छठवीं में अध्ययन कर रही है।

घटना के लिए उत्तरदायी कारण के रूप में माता पिता की परवरिश में कमी, समाज के अनैतिक तथा असामाजिक लोगों का गरीब तथा निरीह बालिका के प्रति किया गया अत्याचार प्रमुख है।

व्यक्तिगत अध्ययन क्रमांक 04

कुमारी बिंदु गल्ला मंडी इंदौर, मध्यप्रदेश की रहने वाली है। बिंदु की उम्र 15 वर्ष है। माता–पिता में तलाक हो गया है। माता–पिता दोनों ने अलग–अलग शादियां कर ली हैं। घर का वातावरण कलहपूर्ण था। अतः तंग आकर बालिका घर छोड़कर भाग गई। बिंदु वर्तमान में संस्था में रह रही है। कक्षा आठवीं में अध्ययनरत है।

बिंदु के उपेक्षित बालिका होने के लिए माता–पिता के बिगड़े संबंध, परिवार से उचित प्रेम व मार्गदर्शन का प्राप्त न होना ही उत्तरदायी है।

व्यक्तिगत अध्ययन क्रमांक 05

कुमारी रश्मि उर्फ रानी की सियरमऊ, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश की रहने वाली है। जिसकी आयु 13 वर्ष है। रश्मि घर से भाग गई फिर एक अन्य व्यक्ति द्वारा बहला फुसला कर अन्यत्र शहर में ले जाकर गरदन पर धारदार हथियार से वार किया गया और दृष्कृत्य किया गया।

संस्था में रहकर कक्षा सातवीं में अध्ययन कर रही है। रश्मि की इस स्थिति के प्रमुख कारकों में निम्न आर्थिक स्थिति, मानसिक अपरिपक्वता तथा सामाजिक विसंगतियां ओर शोषण है।

व्यक्तिगत अध्ययन क्रमांक 06

कुमारी संतोषी ग्राम हरदी, राजनांदगांव, छत्तीसगढ की रहने वाली है। जिसकी उम्र 15 वर्ष है जो वर्तमान में किशोर बालिका गृह में रहकर कक्षा आठवीं में अध्ययनरत है। संतोषी की इस स्थिति के प्रमुख कारकों में सौतेली मॉ द्वारा दी गई प्रताड़ना, परिवार का असामंजस्यपूर्ण एवं कलहपूर्ण रहन सहन एवं समाज में व्याप्त बालमजदूरों के शोषण की प्रवृत्ति है।

व्यक्तिगत अध्ययन क्रमांक 07

कुमारी आनंदी म.प्र. के खरगौन जिले की रहने वाली है। जिसकी आयु 15 वर्ष है और कक्षा आठवी की छात्रा है । आनंदी घर से सौतेली मां के अत्याचारों से तंग आकर भाग आई थी।

आनंदी के इस कृत्य के पीछे सौतेली मां के अत्याचार एवं बालश्रमिक के रूप में शोषण मुख्य कारण है।

व्यक्तिगत अध्ययन क्रमांक 08

कुमारी नूरबानो उर्फ रजिया संजय नगर, रायपुर की रहने वाली है जिसकी उम्र 15 वर्ष है तथा वर्तमान में कक्षा सातवीं की छात्रा है।

पिता के अत्याचारों और मारपीट से तंग आकर घर छोड़ दिया जहां से एक व्यक्ति द्वारा नौकरी दिलाने का झांसा देकर उसे मुंबई ले जाया गया।

बालिका की इस स्थिति के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार क्रोध में बिना सोचे समझे उठाया गया कदम, परिवार से उचित प्रेम और मार्गदर्शन का प्राप्त न होना एवं उच्च आकांक्षाओं का होना है।

व्यक्तिगत अध्ययन क्रमांक 09

कुमारी रानू उर्फ राजी 15 तिलक वार्ड, कंदेली, नरसिंहपुर मध्यप्रदेश की रहने वाली है। रानू की उम्र 14 वर्ष है एवं कक्षा पांचवी में अध्ययनरत है। रानू को रिश्तेदारों से धोखा मिला, एवं भाभी ने उसे घर से निकालकर ट्रेन में बिठा दिया। रानू की इस स्थिति के लिए मुख्य रूप से मां की मृत्यु, पिता द्वारा परवरिश में असमर्थता एवं मामी द्वारा तिरस्कार एवं विश्वासघात मुख्य रूप से जिम्मेदार है।

व्यक्तिगत अध्ययन क्रमांक 10

कुमारी बबली उर्फ बिल्लो भोपाल टाकीज के पास, भोपाल मध्यप्रदेश की रहने वाली है। जिसकी उम्र 14 वर्ष है जो कि कक्षा सातवी में अध्ययनरत है। बबली को उसके भाई बहनों के साथ अस्पताल में छोडकर पिता भाग गए। तथा थाने में दोनों भाई बबली को छोडकर भाग गए। बबली की इस स्थिति के पीछे उत्तरदायी कारक हैः–

1. मां की मृत्यू के बाद पिता का उपेक्षापूर्ण रवैया।
2. गरीबी और निम्न जीवन स्तर।

व्यक्तिगत अध्ययन क्रमांक 11

कुमारी महक महमूद नगर ग्राम सिनवाय,पोस्ट पाचरां, रायसेन, मध्यप्रदेश की रहने वाली है। जिसकी उम्र 13 वर्ष है। वर्तमान में कक्षा आठवी की छात्रा है। महक की मां ने पिता की मृत्यू के बाद दूसरी शादी कर ली एवं महक को रिश्तेदार के यहां (मामा) रखा। बाद में मामी ने रखने से इंकार किया और सगी मां ने भी अपने पास नहीं रखा।

महकू के उपेक्षित होने के पीछे मुख्य रूप से मां द्वारा स्वयं का स्वार्थ एवं महक की परवरिश उचित ठंग से न कर पाना है। रिश्तेदारों की उपेक्षा भी जिम्मेदार है।

व्यक्तिगत अध्ययन क्रमांक 12

कुमारी बाली उर्फ बिट्टी ग्राम दीवटिया, रायसेन, मध्यप्रदेश की रहने वाली है। जिसकी उम्र 15 वर्ष है जो वर्तमान में कक्षा सातवी में अध्ययनरत है। पिता ने दूसरी शादी कर ली और बाली के भाईयों को लेकर बाली को छोडकर स्वयं दिल्ली चले गए। बाली होटल में काम करते हुए पुलिस द्वारा किशोर कल्याण बोर्ड भेजी गई। बाली की इस उपेक्षा के पीछे पूर्ण रूप से जिम्मेदार उसके पिता हैं जिन्होंने लड़की और लड़के में भेद किया तथा अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करने में संतान के प्रति उपेक्षा की।

व्यक्तिगत अध्ययन क्रमांक 13

कुमारी अंजली देशमुख के निवास स्थान की जानकारी नहीं है अंजली की आयु 15 वर्ष है। वर्तमान में कक्षा आठवीं में अध्ययनरत है।

माँ द्वारा एक बार भाई से झगड़ा होने पर वह घर से भाग गई।

अंजली द्वारा इस निर्णय के पीछे उसकी मानसिक अपरिपक्वता एवं क्रोध में बिना सोचे समझे उठाया गया कदम है।

व्यक्तिगत अध्ययन क्रमांक 14

कुमारी राखी इंदौर जिला, मध्यप्रदेश की रहने वाली है। जिसकी आयु 14 वर्ष है तथा वर्तमान में कक्षा छठवीं में अध्ययनरत है माता–पिता दोनों ने अलग–अलग शादियां कर ली है तथा क्रमशः उज्जैन में तथा इंदौर में रहते हैं। सौतेले पिता का उपेक्षा पूर्ण व्यवहार तथा सगे पिता का मकान न मिलने से मुंबई में ट्रेन में झाड़ू लगाकर पेट भरने लगी।

राखी की इस परिस्थिति के पीछे माता–पिता के कलहपूर्ण संबंध पारिवारिक वातावरण की असमंजस्यपूर्णता, सौतेला पिताके अत्याचार उत्तरदायी है।

व्यक्तिगत अध्ययन क्रमांक 15

कुमारी कल्पना, कठकुआ सेमरी, सीहोर मध्यप्रदेश की रहने वाली है। जिसकी उम्र 15 वर्ष है तथा वर्तमान में कक्षा सातवीं में अध्ययनरत है।

कल्पना का घर में मन नहीं लगता था इसलिए वो घर छोड़कर भाग गई। मध्यमवर्गीय परिवार की लड़की है जिसमें झूठ बोलने की प्रवृत्ति है। पिता के देहांत की झूठी बात बता कर संस्था में सबको गुमराह किया। कल्पना द्वारा बचपन से बुरी संगति में पड़ना, उच्च आकांक्षाओं का विद्यमान होना, झूठ बोलने की प्रवृत्ति तथा उच्छखृंल प्रवृत्ति का होना है।

इस प्रकार व्यक्तिगत अध्ययन क्रमांक 01 से 15 तक विभिन्न केस स्टडी का अध्ययन करने पर कुछ कारक उल्लेखनीय हैं जिसके कारण बालिकाएं घर व समाज में उपेक्षा की शिकार हुई :–

1. माता पिता की अत्यधिक उपेक्षा (अपवाद स्वरूप एक दो व्यक्तिगत अध्ययन में अत्यधिक प्यार)।
2. परिवार का निम्न आर्थिक एवं शैक्षणिक स्तर ।
3. माता या पिता द्वारा किया गया दूसरा विवाह।
4. परिवार के सदस्यों का असामंजस्यपूर्ण व्यवहार।
5. कुसंगति का प्रभाव।
6. समाज में तेजी से बढ़ती अनैतिकता।
8. उपेक्षित बालिकाएँ विखण्डित परिवार से आती है। झूठ बोलने की प्रवृत्ति भी उपेक्षित बालिकाओं में पाई जाती है।
9. उपेक्षित बालिकाओं में से "बालिका" शब्द उपेक्षित पर हावी होता नजर आया, जिसके कारण अधिकांश लोगों के मन में उपेक्षित बालिकाओं के प्रति सहानुभूति एवं दया नज़र आई।

5.2 निष्कर्ष

भूमिका :–

प्रस्तुत अध्ययन में 15 व्यक्तिगत अध्ययनों का विश्लेषण करने पर पाया गया कि सभी बालिकाओं के उपेक्षित होने के कुछ सामान्य कारण है। जिनकी वजह से ये बालिकाएँ समाज के मान्य नियमों के विरूद्ध आचरण करने पर मजबूर हुई और इन्होंने घर छोड़ दिया और भागने पर मजबूर हो गई। इस अध्ययन में बालिकाओं की उपेक्षा के निम्न कारण पाये गये :–

1. सौतेले माता या पिता का होना :–

प्रस्तुत अध्ययन में समस्त 15 बालिकाओं में 10 बालिकाएं ऐसी हैं जिनके माता या पिता सौतेले हैं। सभी कारणों में ये कारण सबसे प्रमुख है। अधिकांश बालिकाओं की या तो माता सौतेली थी या पिता सौतेले थे। या किन्हीं घरों में माता या पिता ने दो–दो शादियां कर रखी थी। परिणाम स्वरूप बालिकाओं को काफी अत्याचार सहन करने पड़ते थे जैसे बालिकाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था और सुरक्षा, प्रेम व पर्याप्त भोजन का अभाव रहता था इन सभी कारणों से बालिकाओं को अपने माता–पिता की काफी उपेक्षा सहन करनी पड़ती थी और इससे झुब्ध होकर ये बालिकाएँ घर छोड़ने पर मजबूर हो गई।

2. निर्धनता :–

परिवार में निर्धनता के कारण बालिकाओं की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती थी एवं निर्धनता के कारण और दूसरे कारण उत्पन्न होते थे जैसे घर का कलह पूर्ण वातावरण, माता–पिता का उपेक्षित व्यवहार इत्यादि जिससे कि बालिकाओं के कोमल मन पर विपरीत प्रभाव पड़ता था। प्रस्तुत अध्ययन में 12 बालिकाएँ निर्धन परिवारों से है।

3. अशिक्षा :–

प्रस्तुत अध्ययन में अधिकांश बालिकाओं के माता–पिता दोनो अशिक्षित या कम पढ़े–लिखे पाये गये। परिणामस्वरूप घर का वातावरण ठीक नहीं रहता था और ऐसे

माता–पिता अपने बच्चों को सही संस्कार नहीं दे पाये न ही उचित ढ़ंग से शिक्षा का वातावरण दे पाये।

4. परिवार में स्नेह की कमी :–

प्रस्तुत अधिकांश व्यक्तिगत अध्ययनों में यह देखा गया है कि परिवार में बालिकाओं को सही ढ़ंग से प्रेम और स्नेह नहीं प्राप्त हो पाया जितना कि इन सभी को इस अल्पायु में आवश्यक था। परिणामस्वरूप बालिकाएं परिवार में रहकर भी अपने को उपेक्षित महसूस करती थीं। ऐसे परिवारों में जहां माता–पिता झगड़ते रहते थे और परिवार के साथ सही व्यवहार नहीं करते बच्चे अपने को उपेक्षित समझते हैं।

5. सामाजिक शोषण :–

प्रस्तुत अध्ययन में तीन बालिकाएं ऐसी हैं जो कि समाज में रहकर शारीरिक शोषण का शिकार हुई है फलस्वरूप बालिकाओं के अबोध मत और शरीर इस घटना के बाद समाज में अपने आप को उपेक्षित व असहाय समझने लगे और फलस्वरूप वो घर से भागने पर मजबूर हो गई।

6. दूषित वातावरण :–

प्रस्तुत अध्ययन में 10 परिवार ऐसे थे जिनका वातावरण दूषित था। घर का व आस पड़ोस के वातावरण का बालिकाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ा। घर में माता–पिता का बात–बात पर लड़ना, बच्चों को पीटना, घर में पिता द्वारा शराब पीकर आना इत्यादि अनेक ऐसे कारण थे जिनके कारण वातावरण दूषित हुआ और इसका प्रभाव इन बालिकाओं पर पड़ा।

7. रिश्तेदारों द्वारा उपेक्षा :–

प्रस्तुत 4 व्यक्तिगत अध्ययनों में बालिकाओं के परिवार ऐसे थे जिन्होंने बालिकाओं को रिश्तेदारों के यहां रखा था। प्रथम तो ऐसी बालिकाओं को माता–पिता का प्रेम ही नहीं मालूम था और दूसरा रिश्तेदारों द्वारा उनकी उपेक्षा की गई। दो बालिकाएं तो ऐसी थी जिनके रिश्तेदारों ने उन्हें घर से भगा दिया।

8. एकल परिवार :

उपरोक्त 15 बालिकाओं का व्यक्तिगत अध्ययन देखने के बाद उनके परिवारों की रचना पर नज़र डालें तो वे सभी एकल परिवार का प्रतिनिधित्व करती हैं किसी भी लड़की की संयुक्त परिवार में परवरिश नहीं हुई थी।

इस तरह समस्त 15 बालिकाओं की उपेक्षा के ये मिले जुले कारण थे यानि यह कहा जा सकता है कि कोई एक कारण संपूर्ण रूप से किसी बालिका की उपेक्षा के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी नहीं है अपितु अनेक कारण मिलजुलकर किसी बालिका के उपेक्षित होने का कारक बनते हैं।

समायोजन :–

सभी 15 बालिकाओं के व्यवहार के बारे में ये ज्ञात हुआ कि इनमें से 4 बालिकाएं ऐसी हैं जो संस्था में बड़ों की आज्ञज्ञन की अवेहलना करती हैं लड़ती–झगड़ती हैं। जिनकों मनमानी करने में आनंद आता है ।

संस्था में 4 बालिकाएं (15 में से) ऐसी हैं जो हर परिस्थिति में सामंजस्य नहीं कर पाती हैं अतः इन्हें परामर्श की जरूरत है।

संस्था में इन समस्त बालिकाओं के लिए शैक्षिक व व्यवसायिक सुविधाएं दी जा रही हैं। ये सभी बालिकाएं यहॉ रहकर सरकारी स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर रही है। जिन बालिकाओं को यहां आए ज्यादा दिन नहीं हुए हैं उन्हें उनके स्तर को देखकर संस्था में ही चल रहे औपचारिकेत्तर केंद्र के तहत शिक्षा दी जा रही है। यहां रहकर समस्त बालिकाओं को अपनी आयु के अनुसार सभी दैनिक कार्यों को करना पड़ता है। इन सभी सुविधाओं के अतिरिक्त इन्हें सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पेंटिंग, जूट का सामान बनाना, संगीत इत्यादि का प्रशिक्षण दिया जाता है। इन 15 बालिकाओं में से केवल दो बालिकाओं की बृद्धिलब्धि सामान्य से नीचे है इसके अलावा समस्त बालिकाओं की बुद्धिलब्धि सामान्य या सामान्य से उपर है।

एक विशेष बात जो इस अध्ययन में सामने आई कि समस्त 15 बालिकाओं में से 7 बालिकाओं की विशेष रूचि का क्षेत्र समाज सेवा है। इससे ये कहा जा सकता है कि चूंकि ये बालिकाएं समाज और परिवार द्वारा उपेक्षित हैं अतः इन सभी की रूचि काफी हद तक समाज सेवा की है।

5.3 शैक्षिक–सुझाव

शोधकर्ता द्वारा उपेक्षित बालिकाओं की समस्या के संदर्भ में निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं :–

1. समस्त बालिकाओं को संस्था में ही प्रेम पूर्ण पारिवारिक वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए जिससे वे वंचित हो गई है।
2. उपेक्षित बालिकाओं के लिए विशेष रूप से नैतिक, धार्मिक तथा यौन शिक्षा की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।
3. उपेक्षित बालिकाओं को रूचि अनुसार सभी स्तरों पर व्यावसायिक शिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। संस्था में दिये जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अलावा कोई बड़े स्तर का व्यवसायिक प्रशिक्षण जैसे बांस का काम, मोमबत्ती बनाना, टाईपिंग, कालीन बुनना, पापड़–अचार, बनाना, बुनाई, ब्यूटी पार्लर कोर्स आदि भी कराए जाना चाहिए ताकि ये सीखकर बालिकाएं आत्मनिर्भर बन सकें।
4. संस्था के अतिरिक्त इन बालिकाओं का कुछ समय स्कूल में बीतता है अतः स्कूल को चाहिए कि वो शिक्षकों के माध्यम से इन बालिकाओं पर विशेष ध्यान दें जिससे इनमें अच्छी आदतों का विकास हो, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे सकें एवं बुरी संगत से बच सके।
5. उपेक्षित बालिकाओं के बौद्धिक स्तर को ध्यान में रखकर विशेष पाठ्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए, जिससे क्रियात्मक शिक्षण की प्रधानता हो।
6. ऐसी उपेक्षित बालिकाएं जो किशोर बालिका गृह से निकलने के बाद अच्छी तथा योग्य नागरिक बन गई है। उनका एक पैनल बनाना चाहिए। इस पैनल का उपयोग किशोर बालिका गृह में रहने वाली बालिकाओं के सही रास्ते की ओर अग्रेषित होने के लिए प्रेरणा देने के लिए किया जा सके।
7. किशोर बालिका गृह में मनोवैज्ञानिक तथा सफल व्यक्तियों के व्याख्यानों का आयोजन किया जाना चाहिए तथा अच्छा साहित्य उपलब्ध करवाना चाहिए।

8. किशोर बालिका गृह में योगा का नियमित अभ्यास कराया जाना चाहिए।

9. परिवार में माता–पिता व अन्य सदस्यों को चाहिए कि वो घर का वातावरण सही रखें ताकि कोई बच्चा उपेक्षित होकर किशोर बालिका गृह या सम्प्रेक्षण गृह में न आए।

10. किशोर बालिकाओं के लिए अधिकाधिक समुदाय सहभागिता के लिए मौजूदा बाल देखभाल संस्थाओं और समुदायों तथा समाज के बीच व्यापक संपर्क स्थापित करने के प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

11. किशोर बालिका गृह जैसी संस्थाओं और कार्यान्वयन हेत जिम्मेदार निकायों के कर्मचारियों को सेवापूर्ण व सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जायेगा।

12. समाज सेवा क्षेत्र में सुसंगत कार्यक्रमों के माध्यम से नगर पालिका निकायों, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग इत्यादि की सक्रिय सहायता से कठिन परिस्थितियों में गलियों में घूमकर जीविकोपार्जन करने वाले बच्चों और अन्य उपेक्षित बच्चों के लिए कार्यक्रम तैयार किये जाने चाहिए।

वस्तुतः हम सही मायने में सकल्पबद्ध एवं समयबद्ध कार्यक्रम से ही उपेक्षित बालिकाओं की इस समस्या से छुटकारा कर बालिकाओं को उनका बचपन लौटाकर स्वर्णिम भविष्य प्रदान कर सकते हैं।